फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 92/2024

उनवानः– लालूराम बनाम कल्याण वगै.

पत्रावली आज दिनांक 20.05.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 19.02.2025 को जवाब टीआई पेश किया जा चुका है जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 की बहस टीआई पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को मूलवाद के निस्तारण तक संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.06.2024 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय